कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां

–:: कार्यालय आदेश ::–

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय वर्गीय सेवा नियम–1999 के अन्तर्गत निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांकः शिविरा–माध्य/साप्र/बी–1/2856/आरपीएससी–2013/17–18 दिनांक 07.03.2018 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से कनिष्ठ–सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2013 में **कनिष्ठ सहायक** के पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप पृष्ठांकित आशार्थियों को राज. सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017, पे–मेट्रिक्स **L-5** में कनिष्ठ सहायक के पद पर दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियत मानदेय (फिक्स रेमूनरेशन) पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/कार्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति डी.बी. अपील संख्या 965/2017 राज. लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय एवं माननीय न्यायालय सिविल अपील संख्या 1464–1466/2017, राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम कैप्टन गुरूवेन्द्र सिंह एवं अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के अध्यधीन रहेगी।

परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ.15(1)एफडी(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार **फिक्स रेमुनरेशन रूपये 14600/–** के रूप में देय होगा। इनके द्वारा प्रोबेशन अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त संस्था प्रधान द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर इन्हें पद का प्रारंभिक वेतन पे–मेट्रिक **L-5** में 20800/– पर स्थाईकरण उपरान्त नियमित किया जावेगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए गणना योग्य नही माना जावेगा। इस अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांकः प. 8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति नवीन अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

इन्हें **दिनांक 23.03.2018 तक** पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नही करने की दशा में इनका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त मान लिया जावेगा।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे :–

1. इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का मूल दस्तावेजो से मिलान कर उसकी एक–एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे। कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेंगे।
2. सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल में ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो राज्य सेवा में पहले से ही कार्यरत हैं, उनका सत्यापन कराया जाना आवश्यक नहीं है।
3. संबंधित संस्थाप्रधान जिला पुलिस अधीक्षक से जारी आचरण संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। पुलिस सत्यापन में अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्त निरस्त समझी जावेगी। साथ ही आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व से राज्य सेवा में नियोजित हैं तो उनका सत्यापन कराया जाना आवश्यक नहीं है। **चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी।**
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.03 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों की कुल संख्या दो अधिक नही होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 10/–रूपये के नॉन–ज्युडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
5. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र लेवें कि इनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं व दस्तावेज सही है। इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
6. राजस्थान सिवल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के नियम 16 की अनुसूची 4 में प्रदत्त निर्देशों की पालना संस्थाप्रधान द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
7. इस कार्यालय द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र की एक प्रति संबंधित की व्यक्तिगत पंजिका में रखेंगे।
8. **संस्था प्रधानों को आदेशित किया जाता है कि पृष्ठांकित सूची अनुसार नियुक्त अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण कराने से पूर्व इस कार्यालय (जिशिअ) में उपस्थित होकर प्रमाण पत्रों की जॉच कराने हेतु पाबंद करें। बिना प्रमाण पत्रों की जॉच कराये संस्था प्रधान किसी भी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नही करावें।**

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाऐं सही नही पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी। संबंधित संस्था प्रधान शालादर्पण पोर्टल पर कार्यग्रहण करवाकर कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।

(रामनारायण मीणा)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) बारां

क्रमांक : जिशिअ/मा/बारां/संस्था–2/आरपीएससी 2013–क.सहा./नियुक्ति/2018/ 298

दिनांक : 9/3/18

प्रतिलिपि सचूनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान , जयपुर।
2. श्रीमान उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान उपशासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
4. श्रीमान सचिव महोदय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. श्रीमान उपनिदेशक महोदय (माध्यमिक) शिक्षा विभाग कोटा।
7. वरिष्ठता अनुभाग स्थानीय कार्यालय।
8. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयध्यक्ष।
9. संबंधित आशार्थी।
10. व्यक्तिगत पंजिका संबंधित आशार्थी।
11. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) बारां

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां

–:: आदेश संख्या 01 ::–

क्रमांक : जिशिअ / मा / बारां / संस्था–2 / आरपीएससी 2013–क.सहा. / नियुक्ति / 2018 / 218 दिनांक : 9/3/18

क्र. सं.	मेरिट संख्या	वर्ग	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, पूर्ण पता, शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	3615	BC	देवेन्द्र नागर पुत्र श्री रामप्रकाश नागर, ग्राम सोडलहेडी व पोस्ट दीलोदहाथी, तहसील अटरू जिला बारां 325207 (सी.सै. बीए)	20.04.1992	OBCM	रा.आ.उ.मा.वि. देवरी (शाहबाद)
2	5673	BC	राकेश कुमार नागर पुत्र श्री ओमप्रकाश नागर, मकान नं0 183, धाकड मोहल्ला, ग्राम व पोस्ट बांसथूनी तहसील किशनगंज जिला बारां (सी.सै., बी.ए. बीएड)	14.05.1990	OBCM	रा.आ.उ.मा.वि. बापचा (छबडा)
3	5675	ST	अरविन्द मीणा पुत्र श्री सुरेश मीणा, ग्राम झाडवा पोस्ट ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (सी.सै., बी.टेक)	08.07.1991	STM	रा.आ.उ.मा.वि. कस्बाथाना (शाहबाद)

(रामनारायण मीणा)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) बारां